न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः— श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा आर.ए.एस.
अपील संख्या 02/16 तारीख दायराः— 19.01.2016
अमरप्रीत सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति सैनी सिख निवासी चक 4 एक्स तहसील श्री करणपुर अपीलांट

बनाम

1. प्यार कौर
2. बलविन्द्र कौर
3. सुरेन्द्र कौर
4. रविन्द्र कौर
5. नरेन्द्र कौर
6. हरदयाल सिंह
7. रविन्द्र सिंह
8. इकबाल सिंह
9. बलजीतसिंह
10 स्टेट आफ राजस्थान

पिसरान उद्यम सिंह निवासी चक चक 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.01.16 तहसीलदार श्री करणपुर

उपस्थितः—
1. श्री दलबारा सिंह बराड़ एडवोकेट
2. श्री जरनैल सिंह टुरना एडवोकेट
3. श्री जीतपालसिंह सैनी एडवोकेट

।। निर्णय ।। दिनांक 27/11/17

सक्षेंप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा अपील इस आश्य की पेश की गई कि अपीलांट के दादा उद्यम सिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम चक 4 एक्स में खाता संख्या 9/10 मुरब्बा नम्बर 33 के कुल 4.224 हैक्टर रकबा आरानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उद्यम सिंह अपीलांट के घर रहता था व उसकी सेवा चाकरी अपीलांट व उसके पिता करते थे। उद्यम सिंह द्वारा दिनांक 13.12.14 को एक वसीयत अपीलांट के हक में निष्पादित की थी। जिसमें अपीलांट को मु0नं0 33 के किला नम्बर 5—6—15—16—25 व किला नम्बर 4 के 0.187 हैक्टर, किला नम्बर 4—14—17—24 प्रत्येक से 0.165 हैक्टर कुल 2.112 हैक्टर भूमि की थी मौजूदा इन्तकाल के संबंध में प्रकरण तहसीलदार श्री करणपुर के समक्ष जेरकार था। न्यायालय द्वारा एक विज्ञप्ति दिनांक 12.01.16 को जारी की गई थी कि उनके 2.112 हैक्टर भूमि की वसीयत दिनाक 13.12.14 अपीलांट के हक में की गई है इस संबंध में कोई एतराज हो तो दिनाक 29.1.16 तक पेश कर सकता है परन्तु दिनाक 14.01.16 को तहसीलदार अवकाश पर थे और नायब तहसीलदार द्वारा खिलाफ कानून खिलाफ वाकेयाती एक तरफा बिना कोई जांच किये विधि विरूद्ध तरीके से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इन्तकाल वारिसान के नाम से जारी कर दिया। मामला विवादित है व बिना पक्षकारों को सुने विधि विरूद्ध इन्तकाल किया गया है। जो अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेंटस को सुनवाई हेतु तलब किया गया। उनकी ओर से श्री जीत पाल सिंह सैनी एवं श्री जरनैल सिंह टुरना एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। संबंधित रिकार्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। अपीलांट के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि अपीलांट के दादा उद्यम सिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम चक 4 एक्स में खाता संख्या 9/10 मुरब्बा नम्बर 33 के कुल 4.224 हैक्टर रकबा आरानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उद्यम सिंह अपीलांट के घर रहता था व उसकी सेवा चाकरी अपीलांट व उसके पिता करते थे। उद्यम सिंह द्वारा दिनांक 13.12.14 को एक वसीयत अपीलांट के हक में निष्पादित की थी। जिसमें अपीलांट को मु0नं0 33 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 व किला नम्बर 4 के 0.187 हैक्टर, किला नम्बर 4–14–17–24 प्रत्येक से 0.165 हैक्टर कुल 2.112 हैक्टर भूमि की थी मौजूदा इन्तकाल के संबंध में प्रकरण तहसीलदार श्री करणपुर के समक्ष जेरकार था। न्यायालय द्वारा एक विज्ञप्ति दिनांक 12.01.16 को जारी की गई थी कि उनके 2.112 हैक्टर भूमि की वसीयत दिनाक 13.12.14 अपीलांट के हक में की गई है इस संबंध में कोई एतराज हो तो दिनाक 29.1.16 तक पेश कर सकता है परन्तु दिनाक 14.01.16 को तहसीलदार अवकाश पर थे और नायब तहसीलदार द्वारा खिलाफ कानून खिलाफ वाकेयाती एक तरफा बिना कोई जांच किये विधि विरूद्ध तरीके से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इन्तकाल वारिसान के नाम से जारी कर दिया। मामला विवादित है व बिना पक्षकारों को सुने विधि विरूद्ध इन्तकाल किया गया है। जो अपास्त फरमाया जावे।

रैस्पो. के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित इन्तकाल के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है बल्कि धारा 135(2) के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त को है। अतः इसी आधार पर अपील खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा कूट रचित वसीयत तैयार की गई है। जिसके विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करवा दी गई है। अपील हाजा खारिज फरमाई जावे। उनका यह भी कथन है कि वसीयत रजिस्टर्ड होनी आवश्यक है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने न्यायालय का ध्यान निम्न नजीरों की ओर आकृष्ट किया।

ए.आई.आर 1980 पेज 1173 में माननीय न्यायालय द्वारा विनिश्चिय किया गया है कि Partition by will without concent of male members-will ineffective-if it can bind members as family arrangement

आर.आर.डी. 1997 पृष्ठ 127 में हैल्ड किया गया है कि Tehsildar attested the mutation in favour of D adopted son instead of daughter-Appeal to Addl. Commission-or set aside-Revision-held where there is no contest before tehsildar,order passed by him u/s 135(1)and appeal will lie to land record officer u/s 75(1)(d)-Tehsildar while deciding a disputed mutation u/s 135(2)passed the order in exercise of powers of land records officer so conferred on him by the Govt.-order can be passed u/s 135(2) only when he has been so authorised under L.R. Act or any other law in force-This order passed by Tehsildar u/s 135(2) as applicable u/s 75(1)(f) and the u/s 75(1)(d) Addl Commissioner, held competent to pass the order.

AIR 2012 page 206 .... Transfer-Can be validity made only by registered sale deed not by sale agreement/general power of attorney or will.

RRD 2002 page 449 Rajasthan Colonisation Act,1954, Section 13- Raj, Tenancy Act 1955- Sec. 38 & 39 - Transfer of right or interest(Khatedari) by Will in the lands governed by or under Colonisaiton Act,held prohibted without concent of collector under unamended w.i.f.4.5.84 Therefore partition of mutation of land governed by or under Colonisation Act could not be effectedon the basis of will.Unnamended Section 13 used expression 'transfer' in its wider sense so as to include Will.

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। इन्तकाल के अवलोकन से प्रकट होता है कि उद्यम सिंह की भूमि का विरासतन इन्तकाल रैस्पोडेंटस के नाम से पटवारी द्वारा भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत 14 एस माझी वाला के प्रस्तुत किया गया। सरपंच द्वारा नोट लगाया गया कि आर ओ अपने स्तर पर निर्णय करे। चूँकि अपीलांट वसीयत के आधार पर अपना हक होना कहता है व रैस्पोडेंटस द्वारा वारिस होने के कारण तहसीलदार श्री करणपुर के समक्ष इन्तकाल उनके हक में करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । अपीलांट द्वारा वसीयत के में प्राथमिकी दर्ज होना भी बताया गया है व दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा प्राथमिकी में एफ.आर. लगना जाहिर किया गया है।

विवाद का मुख्य बिन्दु श्रवणाधिकार के संबंध में है जिसे प्रथमतः तय किया जाना है कि इस न्यायालय को उक्त अपील सुनने का अधिकार है अथवा नहीं। धारा 135 (2) में उपबंधित किया गया है कि यदि उतराधिकार या अन्तरण या अर्जन विवादास्पद है तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत अन्य विधि के अधीन सक्षम है, ऐसे विवाद का विनिश्चिय विधि के अनुसार तैयार करेगा और यदि वह इस प्रकार सक्षम नहीं है तो उस विवाद का विनिश्चिय के लिये निर्देश इस प्रकार सक्षम किसी अन्य अधिकारी को कर देगा।

यह तथ्य सही है कि विवादित प्रकरण में तहसीलदार का आदेश अधिनियम की धारा 135(2) के तहत पारित माना जायेगा एवं ऐसे विवादित निर्णय की अपील सुनने का अधिकार धारा 75(1)(एफ) के तहत निदेशक भ–ूअभिलेख, संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। धारा 135(1) के तहत अविवादित नामान्तकरण पर तहसीलदार के पारित आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखते हैं। जहां तक अपील की सुनवाई हेतु रैस्पो. के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा इन्तकाल के विवादित होने के कारण इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही होकर संभागीय आयुक्त का क्षेत्राधिकार बताया है लेकिन उक्त आधार पर यह प्रकरण विवादित होना नहीं कहा जा सकता। प्रकरण विवादित होना उस दशा में माना जायेगा जहां दोनो पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों व प्रोटेस्ट किया हो।

प्रस्तुत मामले में इन्तकाल संख्या 325 रैस्पोडेंटस के आवेदन 08.12.2015 तहसीलदार श्री करणपुर को पेश करने पर पटवारी हल्का द्वारा 18.12.15 को विरासतन दर्ज कर भरा गया। जिस पर दिनांक 20.12.2015 को गिरदावर हल्का द्वारा नोट लगाया गया कि वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार है ग्राम पंचायत अपने स्तर पर वारिसान की जांच कर निर्णय करे। दिनांक 05.01.16 को सरपंच द्वारा नोट लगाया गया कि आर.ओ अपने स्तर पर फैसला करे।

इसी के साथ ही अपीलांट द्वारा अपील मीमो में दर्ज किया गया है कि वसीयत के आधार पर कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन थी। जिसमें विज्ञप्ति 12.01.16 को जारी की गई थी कि वसीयत दिनांक 13.12.14 जो अपीलांट के हक में है के बारे में दिनांक 29.01.16 तक पेश की जा सकती है लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा तहसीलदार के अवकाश पर होने पर दिनांक 14.01.16 को ही एक तरफा इन्तकाल रैस्पोडेंटस के नाम से वारिसान दर्ज कर दिया गया।

जहां तक इन्तकाल विवादित होने का प्रश्न है। जैसा कि उपर विवेचन किया गया है इन्तकाल विवादित उसी दशा में माना जायेगा जहां दोनो पक्षकारान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लिया गया हो लेकिन उक्त मामले में दोनो पक्षकारों द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया है। अतः इन्तकाल विवादित होना नहीं कहा जा सकता। अतः इस मामले में इस न्यायालय को श्रवणाधिकार होगा।

जहां तक इन्तकाल की वैधता का प्रश्न है रैस्पोडेंटस का विरासतन इन्तकाल का मामला तहसीलदार श्री करणपुर के समक्ष विचाराधीन था व आपति नोटिस जारी किया हुआ था तथा आपतियां प्रस्तुत करने की तारीख पेशी 29.01.2016 नियत थी लेकिन तहसीलदार के अवकाश पर होने के दौरान नियत तिथि से पूर्व ही नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.01.2016 को इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया व इन्तकाल पर वसीयत के बारे में मांगी गई आपतियों के प्रकाशन बाबत समाचार पत्र की कतरन चस्पा कर दी गई। जबकि नियत तिथि पर सक्षम

प्राधिकारी द्वारा प्रकिया अपनाई जाकर विधिवत स्पीकिंग आदेश जारी किया जाना चाहिये था अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। इसलिये उक्त विवेचन के आधार पर इन्तकाल संख्या 325 दिनांक 14.01.16 अपास्त किया जाता है व मामला तहसीलदार श्री करणपुर को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि विरासतन व वसीयत दोनो बिन्दुओं के संबंध में गहन जांच कर व दोनो पक्षों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देकर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्री गंगानगर